6541

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं0 437
अन्तर्गत धारा 111–128 आरटीए

निर्णय दिनांकः– 06/06/2018

:: निर्णय ::

प्रार्थी श्री कालिलाल s/o लाला मीणा

जति मीणा ...... उम्र ...... निवासी निo रवापरडा ...... तहसील डूंगरपुर ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदालत माण्डवा दिनांक 30/05/2018 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 ले0रे0एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा रवापरडा पंचायत समिति .... में स्थित खाता संख्या 28 पर आराजी नं0 613/108 ...... बीघा ...... बिस्वा किता 1 योग रकबा 2 बीघा पर प्रार्थी मालिक काबिज होकर कृषि काश्त करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीमा (डेडे, पारी) की बात को लेकर विवाद होता है। करते है और लडाई झगडा करते है। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगढी कराना चाहता है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी रामलाल s/o ...... निo रवापरडा ने भी पत्थरगढी करने की सहमति दी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम रवापरडा के खसरा नं0 579/108 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 1 योग रकबा 1-10 की जमाबंदी सम्वत् 2071-74 ...... की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार काश्तकार है ओर विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नही किया गया एवं सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा रवापरडा में स्थित खाता संख्या 28 पर आराजी नं.0 613/108 रकबा 2-10 बिस्वा .... कुल रकबा 2 ...... की पत्थर गढी कराने का हकदार है। कुल किता 1

लिहाजा मौजा रवापरडा मे स्थित खाता संख्या 28 पर आराजी नं.0 613/108 .... रकबा 2-10 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 2-10 बिस्वा विवादग्रस्त आराजी की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदा, डूंगरपुर भू0अ0 निरीक्षक डूंगरपुर ...... के नैतृत्व में टीम गठीत कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गढी की जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगढी शुल्क रू0 200/- प्रार्थी स्वंय राजकोष में जमा करावे तभी पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी

डूंगरपुर

[CO-2018/00531]